अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2021(GCMS 2021/104)(आरटीआई नं. 212993116051336) कमल मारवाल निवासी वार्ड नं. 08, 3 एसटीआर, नजदीक गुरूद्वारा, न्यू घडसाना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 63758-23064) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कमल मारवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.04.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कमल मारवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

As per attached photo copy of Cast Certificate issued from your office, Tehsil - Suratgarh District Sriganganagar Sr. No. 4835 Issued Date 21.07.2007 Sh. Ratish Kumar Son of Sh. Kunju Kunju in this regards please provide the following documents pointwise in certified state:

1. Certified Application from the issue Cast certificate in favor or Sh. Ratish Kumar S/o Sh Kunju Kunju Regarding the attached Cast Certificate
2. Provide the Certified copy of Cast Certificate as attached in 3-Copies
3. As per attached photocopy of Cast Certificate in this regards provide the details of issuing authority as Name & Designation of issuing Authority with their present posting palace or previous posting details also

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. Provide the person/employee details of the Investigator or issued (report issued employee/officer) regarding the cast certificate attached.

लोकसूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक 112 दिनांक 06.09.2021 से अपीलार्थी की अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आवेदक द्वारा तहसील कार्यालय से जारी जाति प्रमाण–पत्र क्रमांक 4835 दिनांक 21.07.2007 रतीश कुमार पुत्र श्री कुन्जू कुन्जू द्वारा आवेदित फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्यालय हाजा से जारी जाति प्रमाण पत्र की 03 प्रमाणित प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता की सूचना, नाम व पद एवं गवाहों के संबंध में सूचना चाही है।
>
> अतः आवेदक द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8(ञ) के तहत व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना देय नहीं है।
>
> श्रीमान्जी द्वारा चाही गई सूचना आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> तहसीलदार (राजस्व)
> सूरतगढ़

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया पाया कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपील का जवाब यथानुसार दिया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है किन्तु तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में अपीलार्थी को सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को **पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर